अध्याय – 2
योजना

2.1 प्रस्तावना

इरेडा का मिशन नवीकरण योग्य संसाधनों से ऊर्जा उत्पादन के वित्पोषण के लिए अग्रणी और प्रतिस्पर्धी संस्था बनना है। चूंकि कई वित्तीय संस्थान और वाणिज्यिक बैंक नवीकरणीय ऊर्जा के वित्तपोषण के क्षेत्र में कार्य कर रहे है इसलिए यह अनिवार्य है कि इरेडा बाजार की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी रूप से नीतियां और अपने कार्य की योजनाएं बनाएं।

2.2 आरई परियोजनाओं के वित्तीयन में इरेडा का योगदान

इरेडा का एक उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक मुख्य वित्तीय संस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना है। लेखापरीक्षा ने अक्षय ऊर्जा के वितीयन के लिए समग्र बाजार की तुलना में इसकी स्थिति की जॉच की और निष्कर्ष निम्नानुसार हैं।

2.2.1 इरेडा की कॉरपोरेट योजना ने 2007-08 से 2010-11[7] की अवधि के दौरान भारत में आरई क्षेत्र में समग्र निवेश और उसके द्वारा किए गए वास्तविक वितरण की एक तुलना की जो कि निम्नानुसार थी:

तालिका 2.1 : इरेडा की कॉरपोरेट योजना के अनुसार आरई परियोजनाओं के वित्तीयन में इसकी बाजार हिस्सेदारी

₹ करोड़ में

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल निवेश	5934.16	6539.17	8520.07	11274.87
इरेडा का वार्षिक वितरण	553.64	770.95	890.03	1224.17
इरेडा की बाजार हिस्सेदारी (प्रतिशतता)	9.33	11.79	10.45	10.86

स्रोत: इरेडा की कॉरपोरेट योजना और वार्षिक लेखे

[7] *जैसा 2012-17 की कॉरपोरेट योजना में दर्शाया गया ।*

उपरोक्त आंकडे दर्शाते है कि 2007-08 से 2010-11 के दौरान इरेडा की बाजार हिस्सेदारी लगभग 11 *प्रतिशत* थी।

2.2.2 लेखापरीक्षा ने अक्षय ऊर्जा निवेश 2014 में वैश्विक प्रवृत्तियों पर रिपोर्ट[8] से प्राप्त भारत में आरई क्षेत्र में कुल निवेश पर डाटा का विश्लेषण भी किया और इसकी 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान इरेडा के वितरण से तुलना की जिसे निम्नलिखित तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2 अन्य रिपोर्ट पर आधारित आरई परियोजनाओं के वित्तीयन में इरेडा की बाजार हिस्सेदारी

₹ करोड़ में

आरई क्षेत्र में निवेश	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अखिल भारत	21395	39263	56246	36835	33172
इरेडा का वितरण	771	890	1224	1855	2126
इरेडा की हिस्सेदारी (*प्रतिशतता*)	3.60	2.27	2.18	5.04	6.41

स्रोतः आरई निवेश 2014 में वैश्विक प्रवृतियों पर रिपोर्ट और इरेडा की वार्षिक रिपोर्ट

2008-09 से 2012-13 के दौरान इरेडा की बाजार हिस्सेदारी की प्रतिशतता 2.18 से 6.41 *प्रतिशत* के बीच थी। 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान देश में दूसरे वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए कुल निवेश की तुलना में आरई परियोजनाओं के वित्तीयन में इरेडा की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि नहीं हुई थी। यद्यपि इसमें बाद में वृद्धि हुई क्योंकि इरेडा के संवितरणों में 2010-11 के बाद वृद्धि हुई जबकि आरई क्षेत्र में कुल निवेश में कमी आई।

2.2.3 लेखापरीक्षा ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और इरेडा की वार्षिक रिपोर्टों से लिए आंकड़ो के साथ चालू आरई परियोजनाओं की स्थिति की भी तुलना की। दसवीं और ग्यारहवीं योजना के दौरान अक्षय ऊर्जा की अखिल भारतीय अधिकृत क्षमता में इरेडा की वित्तपोषित परियोजनाओं की हिस्सेदारी निम्नानुसार थी:

[8] *फ्रेंकफर्ट स्कूल द्वारा अक्षय ऊर्जा निवेश में वैश्विक प्रवृतियों पर रिपोर्ट-यूएनईपी कोलेबोरेटिंग सेंटर फार क्लाइमेट एंड ससटेनेबल एनर्जी*

ग्राफ 2.1: चालू परियोजनाओं में इरेडा की बाजार हिस्सेदारी

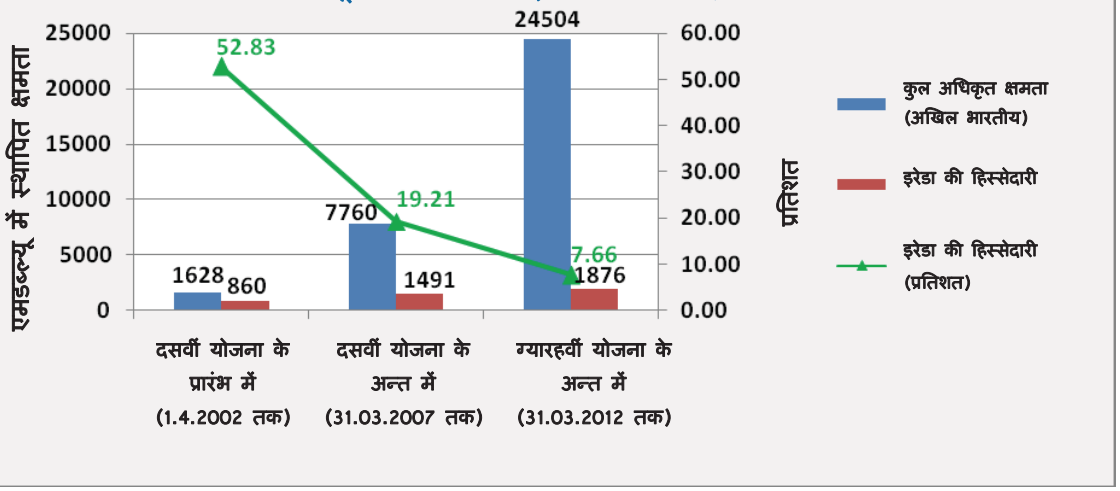

स्रोत: केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और इरेडा की वार्षिक रिपोर्ट एवं कॉरपोरेट योजना 2012-17

उपरोक्त दर्शाता है कि कुल अधिकृत क्षमता में इरेडा की हिस्सेदारी जो कि दसवीं योजना अवधि के शुरू में 52.83 *प्रतिशत* थी उसमें 10वीं योजना के अन्त तक 19.21 *प्रतिशत* और ग्यारहवीं योजना के अन्त में 7.66 *प्रतिशत* तक पुन: गिरावट आई।

इस प्रकार, इरेडा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम नहीं था।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2014) कि बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद इरेडा अपनी बाजार हिस्सेदारी 9 *प्रतिशत* से 11 *प्रतिशत* के बीच बनाए रखने में समर्थ था।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एक दशक के अंदर, अक्षय ऊर्जा हेतु प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में इरेडा की स्थिति कुल अधिकृत क्षमता के आधे से अधिक के साथ एक प्रभावशाली स्थान से घट कर केवल 7.66 *प्रतिशत* हो गई। 2012-13 में इसने कुल अधिकृत क्षमता (27542 एमडब्ल्यू) का केवल 3.10 *प्रतिशत* (848 एमडब्ल्यू) ही वित्त पोषित किया था। इसलिए इरेडा नवीनीकरण संसाधनो से ऊर्जा उत्पादन के वित्तीयन के लिए प्रतिस्पर्धी संस्थान बनने के अपने मिशन और नवीकरण में प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के अपने उद्देश्य से अधिक दूर होता जा रहा था।

2.3 योजना

व्यवसाय अल्पावधि, मध्यमावधि और दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य के साथ अपनी नीतिगत योजना का विकास करते हैं। अल्पावधि योजना में आमतौर पर वे प्रक्रियाएं होती हैं जो एक या दो वर्षों में नतीजे दर्शाती हैं, जबकि मध्यम अवधि योजनाएं उन परिणामों पर लक्षित होती हैं जिन्हें प्राप्त

करने में कई वर्ष लग सकते है, दीर्घावधि योजना में इरेडा द्वारा भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले समग्र लक्ष्य शामिल होते है। इरेडा की कॉरपोरेट योजना पाँच वर्ष या अधिक के दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य के साथ तैयार की गई है जबकि वार्षिक लक्ष्य एमएनआरई के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) में बनाए गए है।

2.4 कॉरपोरेट योजना का निरूपण और कार्यान्वयन

एक कॉरपोरेट योजना एक कम्पनी द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली नीति और समरूपी कार्य योजनाओं को परिभाषित करती हैं। यह कम्पनी को रोडमैप बनाने की ओर केन्द्रण और दिशा प्रदान करती है। 30 नवम्बर 1994 के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों में परिकल्पित है कि प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को पाँच वर्षों के समय सीमा के साथ एक दीर्घावधि कॉरपोरेट योजना और 5-10 वर्षों का एक दूसरी परिप्रेक्ष्य योजना बनाना चाहिए।

1995-2007: लेखापरीक्षा ने देखा कि इरेडा ने फरवरी 1998 में 1997-98 से 2001-02 तक की अवधि को कवर करते हुए अपनी पहली कॉरपोरेट योजना तैयार की। तथापि, 2002-07 के लिए कॉरपोरेट योजना निरूपित नहीं की गई थी।

2007-2012: अक्तूबर 2005 में इरेडा ने इरेडा के लिए उपयुक्त नीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए मै. सीआरआईएसआईएल लिमिटेड (सीआरआईएसआईएल) को नियुक्त किया। सीआरआईएसआईएल ने सितम्बर 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सुझावित कार्रवाई की प्राप्ति की एक रूपरेखा दी गई थी। सीआरआईएसआईएल की रिपोर्ट को बीओडी ने 27 अप्रैल 2007 में हुई अपनी 169वीं बैठक में अनुमोदित किया था।

2012-2017: 2008-09 के लिए इरेडा के साथ एमओयू को अन्तिम रूप देते समय डीपीई की टास्क फोर्स ने व्यापक अद्यतित कॉरपोरेट योजना की आवश्यकता पर जोर दिया (जनवरी 2008) जिससे ठोस गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। तदनुसार, इरेडा ने 2007-12 के लिए अपनी कॉरपोरेट योजना तैयार की। इरेडा ने 2012-17 के लिए कॉरपोरेट योजना तैयार करने के लिए मै. प्राइसवाटरहाऊसकूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडब्ल्यूसी) को नियुक्त किया। इस कॉरपोरेट योजना को दिनांक 11 मई 2012 में हुई इसकी 220वीं बैठक में बीओडी को प्रस्तुत किया गया था और बीओडी ने योजना को नोट किया था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- इरेडा ने कॉरपोरेट योजना 2007-12 टास्क फोर्स द्वारा इसकी जरूरत पर बल देने के बाद तैयार की थी। तथापि, योजना बीओडी को इस आधार पर प्रस्तुत नहीं की गई थी कि (क) यह दीर्धावधि योजना नहीं थी, क्योंकि योजना के पाँच वर्षों में से तीन पहले ही समाप्त हो चुके थे।

(ख) कॉरपोरेट योजना सीआरआईएसआईएल की रिपोर्ट पर आधारित थी जो बीओडी द्वारा अप्रैल 2007 में पहले ही अनुमोदित की गई थी। इसलिए बीओडी को कॉरपोरेट योजना के साथ साथ कॉरपोरेट योजना 2007-12 में परिकल्पित विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रास्थिति की जानकारी नहीं थी।

- बोर्ड ने स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि योजनागत गतिविधियाँ कर ली गई थीं और लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे कॉरपोरेट योजना के तहत परिकल्पित विभिन्न गतिविधियों की प्रगति को मानीटर नहीं किया। केवल कार्य की पृथक मदें बीओडी को टुकडों में प्रस्तुत की गई थी जैसे इक्विटी के व्यापक आधार या आईपीओ उदभूत करना जैसे मामले के रूप में। वैसे तो, बीओडी को सम्पूर्ण कॉरपोरेट योजना के निष्पादन के बारे में जानकारी नहीं थी।
- कॉरपोरेट योजना 2007-12 के विपरीत 2012-17 के लिए योजना विशिष्ट कार्यो को पूरा करने के लिए मील का पत्थर निर्धारित नहीं करती जो परिभाषित समय सीमा में आउट पुट की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने में सक्षम करेगा।
- कॉरपोरेट योजना (2007-12) के अन्तर्गत अल्प, मध्यम और दीर्घावधि में परिकल्पित कई कार्यवाहियां/नीतियां या तो की नहीं गई थी या आंशिक रूप से कार्यान्वित की गई थीं। संसाधन जुटाने, ग्राहक प्रति धारण/व्यवसाय विकास, संगठन के पुर्नगठन और छवि निर्माण के चार प्रमुख क्षेत्रों के अन्तर्गत निष्पादित करने के लिए परिकल्पित कार्य की 31 मदों में से केवल कार्य की 12 मदों[9] को ही कार्यान्वित किया गया बताया गया था।
- संसाधन जुटाने से संबंधित कॉरपोरेट योजना 2007-12 में महत्वपूर्ण मुद्दे अनिर्णित थे क्योंकि यह भारत सरकार स्तर/अन्य कारको पर लम्बित बताए गए थे। इनमें निम्नलिखित शामिल थे:

क्रम सं.	कार्य की मद	भारत सरकार के साथ की जाने वाली कार्रवाई	इरेडा द्वारा की गई कार्रवाई
1	इक्विटी का विस्तृत आधार	वह सीमा जिसमें सरकारी इक्विटी को डाइलयूट किया जा सकता है	नवम्बर 2013 में एमएनआरई को संदर्भित
2	इनिशियल पब्लिक आफरिंग (आईपीओ) के माध्यम से इक्विटी	₹ 1000 करोड़ से ₹ 6000 करोड़ तक प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाना	मार्च 2013 में एमएनआरई को संदर्भित

[9] *मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण, ग्राहकों की विश्वसनीयता से संबंधित लचीली उधार दरें, लचीली शर्तों का प्रस्ताव, मध्यम हाइड्रो परियोजनाओं का वित्तीयन संघ वित्तीयन बनाना, इरेडा द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करना, इरेडा का अनुसूची 'बी' कम्पनी में उन्नयन, संयुक्त उद्यमों का निर्माण, भारत सरकार इक्विटी, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एलओसी, एसएआरएफएईएसआई, अधिनियम, 2002 के माध्यम से एनपीए की वसूली और ओटीएस के माध्यम से एनपीए की वसूली।*

क्रम सं.	कार्य की मद	भारत सरकार के साथ की जाने वाली कार्रवाई	इरेडा द्वारा की गई कार्रवाई
3	दीर्घावधि कार्य निधि	3-4 *प्रतिशत* की वार्षिक ब्याज दर पर सहायक ऋणों के रूप में ₹ 500 करोड़ की संस्वीकृति जिसकी समायावधि लगभग 40-50 वर्ष हो	मामला एमएनआरई के पास लम्बित है
4	पूंजीगत लाभ बांड	पूंजीगत लाभ बांड और कर बचत बांड जारी करने की अनुमति	मामला भारत सरकार के पास लम्बित है
5	कर मुक्त बांड	भारत सरकार द्वारा इरेडा को वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कर मुक्त बांड के माध्यम से ₹ 1000 करोड़ जुटाने की अनुमति दी गई थी (फरवरी 2013)	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुमति की प्राप्ति और बाजार कारकों के कारण निधियां जुटाई नहीं जा सकी थी
6	स्ट्रेस्ड एस्सेट स्टेबिलाइजेशन फंड (एसएएसएफ)	एसएएसएफ के सृजन के लिए मामला आरंभ में इरेडा द्वारा दिसम्बर 2005 और सितम्बर 2007 में एमएनआरई के साथ उठाया गया था	मामला एमएनआरई के पास लम्बित है

- कॉरपोरेट योजना 2007-12 में अन्य महत्वपूर्ण मामले थे जिन पर या तो योजना अवधि के दौरान इरेडा द्वारा कार्यवाई प्रारंभ नहीं की गई थी या कार्रवाई विलम्बित रूप से की गई थी। यह निम्नानुसार है :

क्र. सं.	कार्य की मद	इरेडा द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	प्रास्थिति
1	सलाहकार व्यवसाय	सलाहकार सैल का गठन करना और इरेडा की योजना की सलाह देना, प्रचार करना, घोषणा करने और व्यवसाय के सृजन के लिए गतिविधियों को दर्शाना	कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और मामले को दोबारा कॉरपोरेट योजना 2012-17 में समाविष्ट किया गया था
2	वेल्यू चेन का वित्तीयन	विभिन्न उत्पादों और संभावित ग्राहकों की पहचान करना	कोई कार्रवाई नहीं की गई
3	फोकस ग्रुपों का गठन	फोकस ग्रुपों का गठन जैसे नीतिगत योजना ग्रुप, व्यवसाय विकास सुधार ग्रुप, जोखिम प्रबंधन ग्रुप, संगठनात्मक सिस्टम्स ग्रुप, परामर्श प्रबंधन ग्रुप, ज्ञान प्रबंधन ग्रुप, और एनपीए के प्राप्यों की वसूली के लिए ग्रुप	कोई कार्रवाई नहीं की गई और मामला कॉरपोरेट योजना 2012-17 में दोबारा समाविष्ट किया गया था

क्र. सं.	कार्य की मद	इरेडा द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	प्रास्थिति
4	प्रयोक्ता अनुकूल आईटी समर्थ ग्राहक इन्टरकेस और ग्राहकों के साथ एकल विंडों बातचीत	ऋणकर्त्ता खातों को कम्पनी की वेबसाईट पर डालना और कार्य प्रणाली विकसित की जानी है जिससे ग्राहकों /ऋणकर्त्ताओं के साथ एकल विंडो बातचीत हो सके	अनुप्रयोग अभी तक परीक्षण के अन्तर्गत है (जनवरी 2014)

इस प्रकार इरेडा ने कॉरपोरेट योजना 2007-12 डीपीई के टास्क फोर्स से निर्देशों के बाद तैयार की थी किन्तु इसे बीओडी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया था। इसलिए बीओडी, कॉरपोरेट योजना में परिकल्पित विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन की प्रास्थिति से अवगत नहीं था। लघु, मध्यम और दीर्घावधि में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम या तो उठाए नहीं गए या केवल आंशिक रूप से कार्यान्वित किए गए थे। इस प्रकार महत्वपूर्ण मामले या तो भारत सरकार के स्तर पर लम्बित थे या उन पर इरेडा द्वारा अभी कार्रवाई की जानी थी। इस प्रकार कॉरपोरेट योजना ने दीर्घावधि योजना तंत्र के रूप में अपना अभिप्रेत उद्देश्य पूरा नहीं किया। इरेडा की गिरती बाजार हिस्सेदारी के दृष्टिगत प्रभावी योजना और नीति का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो जाता है।

सिफारिश संख्या 1

इरेडा के परिचालन की कुशलता तथा प्रभावकारिता को सुधारने तथा नए व्यवसाय अवसरों का पता लगाने के लिए इरेडा का निदेशक मंडल कॉरपोरेट योजना के कार्यान्वयन में समन्वय तथा इसकी निगरानी करे।

इरेडा ने सिफारिश स्वीकार की।

2.5 वार्षिक योजना

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इरेडा द्वारा एमएनआरई के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें उसके द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न वित्तीय और गैर वित्तीय लक्ष्यों का विस्तृत विवरण होता है। इसके अतिरिक्त, एमएनआरई प्रति वर्ष परिणामी बजट भी तैयार करता है जिसमें मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के उद्देश्य उजागर किए जाते हैं और पिछले वर्षों के दौरान की गई प्रगति के साथ साथ वित्तीय परिव्यय, प्रक्षेपित प्रत्यक्ष आउटपुट और अगले वर्ष के लिए अनुमानित/बजटीय परिणाम होते है। भारत सरकार के नियोजित बजट से इरेडा की इक्विटी और आन्तरिक और बाहरी बजटीय संसाधन (आईईबीआर) के आंकलन भी एमएनआरई के परिणामी बजट में परिलक्षित होते हैं।

2.6 कॉरपोरेट योजना और एमएनआरई परिणामी बजट लक्ष्यों के साथ असंगत एमओयू लक्ष्य

2.6.1 संस्वीकृती

2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए कॉरपोरेट योजना, परिणामी बजट और एमओयू में निर्धारित संस्वीकृती के लक्ष्यों और उनके प्रति उपलब्धियां निम्नलिखित तालिका 2.3 में दर्शायी गई है:

तालिका 2.3: संस्वीकृतियों के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धियां

₹ करोड़ में

वर्ष	निम्न के अनुसार संस्वीकृति के लिए लक्ष्य				उपलब्धि	एमएनआरई परिणामी बजट के संदर्भ में उपलब्धि की प्रतिशतता	'उत्कृष्ट' लक्ष्य के संदर्भ में उपलब्धि भिन्नता की प्रतिशतता
	कॉरपोरेट योजना	एमएनआरई परिणामी बजट	एमओयू उत्कृष्ट लक्ष्य	एमओयू मूल लक्ष्य			
1	2	3	4	5	6	7 (6/3*100)	8 (6/4*100)
2008-09	1000	900	1000	900	1489.93	165.54	148.99
2009-10	1571	900	1350	1200	1823.91	202.66	135.10
2010-11	2286	1860	2135	1900	3126.42	168.09	146.44
2011-12	2574	2625	2888	2625	3405.96	129.75	117.93
2012-13	3521	3520	4000	3760	3747.36	106.46	93.68

उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि इरेडा द्वारा संस्वीकृत वास्तविक ऋण परिणामी बजट में दर्शाए गए ऋण की संस्वीकृति के लक्ष्य से लगातार बढ रहे थे। इसी प्रकार एमओयू 'उत्कृष्ट' लक्ष्यों के प्रति संस्वीकृत ऋण के संबंध में उपलब्धि 2012-13 को छोड़कर, जहाँ यह 6.32 *प्रतिशत* तक कम थी वहाँ लगातार बढ रही थी। कॉरपोरेट योजना लक्ष्य भी प्रत्येक वर्ष के लिए बढ़ रहे थे।

2.6.2 संवितरण

2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए कॉरपोरेट योजना, परिणामी बजट और एमओयू में निर्धारित संवितरणों और वास्तविक उपलब्धियों के लिए लक्ष्य निम्नलिखित तालिका 2.4 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.4 ऋणों के संवितरण के लिए लक्ष्य और उपलब्धियों

₹ करोड़ में

वर्ष	निम्न के अनुसार संवितरण के लिए लक्ष्य				उपलब्धि	एमएनआरई परिणामी बजट के संदर्भ में उपलब्धि भिन्नता की प्रतिशतता	उत्कृष्ट लक्ष्य के संदर्भ में उपलब्धि भिन्नता की प्रतिशतता
	कॉरपोरेट योजना	एमएनआरई परिणामी बजट	एमओयू उत्कृष्ट लक्ष्य	एमओयू मूल लक्ष्य			
1	2	3	4	5	6	7 (6/3*100)	8 (6/4*100)
2008-09	700	650	730	650	770.95	118.61	105.61
2009-10	1100	650	800	710	890.03	136.93	111.25
2010-11	1600	880	1010	900	1224.17	139.11	121.20
2011-12	1800	1218	1340	1218	1855.04	152.30	138.44
2012-13	2026	2030	2500	2350	2125.50	104.70	85.02

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2008-09 से 2012-13 के दौरान इरेडा द्वारा ऋणों का वास्तविक संवितरण परिणामी बजट में दर्शाए गए संवितरण के लक्ष्यों से लगातार बढ़ रहा था इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान एमओयू उत्कृष्ट लक्ष्यों के प्रति संवितरित ऋण वास्तविक वर्ष 2012-13 को छोडकर बढ रहा था, जबकि यह लगभग 15 *प्रतिशत* तक कम रहा।

2.6.3 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

- चूंकि एमओयू लक्ष्य एमएनआरई द्वारा तिमाही आधार पर और डीपीई द्वारा वार्षिक रूप से मॉनीटर किए जा रहे थे इसमें मुख्य बुनियादी ढांचा शामिल है जिसके प्रति इरेडा अपनी उपलब्धियों का मानदण्ड करती है। तथापि, इन एमओयू लक्ष्यों का कॉरपोरेट योजना या एमएनआरई के परिणामी बजट में दर्शाए गए लक्ष्यों के साथ कोई संबंध नहीं था।

- एमओयू लक्ष्य कम बताए गए थे क्योंकि इरेडा ने लगातार 'उत्कृष्ट' लक्ष्य भी बढाए थे। इस बारे में 2008-09 के लिए एमओयू को अन्तिम रूप देने के दौरान टास्क फोर्स समिति द्वारा बताया गया था, जिसमें यह देखा गया कि संस्वीकृतियों और संवितरणों के लिए लक्ष्य कम बताए गए थे और इरेडा उच्च आंकड़े निर्धारित कर सकता था। इसी प्रकार, 2009-10 के लिए एमओयू को अन्तिम रूप देते समय समिति ने बताया कि संस्वीकृत ऋण प्रत्याशित उपलब्धियों पर आधारित होने चाहिएं और पिछले वर्ष के लिए लक्ष्यों के आधार पर नहीं।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2014) कि कॉरपोरेट योजना लक्ष्य सामान्यतया लक्ष्यों को दर्शाते हैं जिन्हें क्षेत्र में परिकल्पित भविष्य वृद्धि के अनुसार निर्धारित किया जाता है। एमओयू लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और स्वरूप में अधिक वास्तविक होते हैं।

प्रबन्धन का उत्तर इरेडा द्वारा लगातार अपने एमओयू लक्ष्यों को बढ़ाने और उसके घटते बाजार शेयर के संदर्भ में देखा जा सकता है।

सिफारिश संख्या 2

एमएनआरई के साथ हस्ताक्षरित वार्षिक एमओयू में निर्धारित लक्ष्य यथार्थवादी तथा कॉरपोरेट योजना के अनुसार होने चाहिए और एमएनआरई के परिणामी बजट में उचित रूप से परिलक्षित होने चाहिए।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा सिफारिश आंशिक रूप से स्वीकार की।

2.7 एमएनआरई और इरेडा के बीच समझौता ज्ञापन तैयार करने के लिए डीपीई दिशानिर्देशों का अननुपालन

सीपीएसई और मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन तैयार करने के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार (नवम्बर 2010), समझौता ज्ञापन के लक्ष्य वास्तविक, विकासोन्मुख और वार्षिक योजना और मंत्रालय के बजट और सीपीएसई की कॉरपोरेट योजना के अनुरूप होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, चल रही नई परियोजनाएं सीपीएसई द्वारा कार्यान्वित की जाएं और परियोजनाओं की सूची पूरी की जाएं एवं समय और लागत उपरिव्यय के साथ लम्बित परियोजनाएं और निर्धारित समय में उपलब्ध मील के पत्थर की प्रतिशतता का एमओयू में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। एमओयू में सीपीएसई की वित्तीय स्थिति दर्शाने के अलावा, एमओयू में मात्रा निर्धारित करने योग्य प्रत्यक्ष लक्ष्य भी दर्शाना अपेक्षित है क्योंकि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीपीएसई की उत्पादकता और दक्षता को दर्शाते हैं।

लेखापरीक्षा ने 2008-09 से 2012-13 के दौरान एमएनआरई के साथ इरेडा द्वारा किए गए एमओयूज़ की संवीक्षा की और देखा कि:

- जबकि 2005-06 से 2007-08 की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन में परियोजनाओं के लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप (एमडब्ल्यू) और मूल्य रूप दोनों में चालू किए जाने हेतु दर्शाए गए थे, फिर भी 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए समझौता ज्ञापन में केवल मूल्य रूप में लक्ष्य दर्शाए गए थे। 2011-12 और 2012-13 के लिए एमओयू में ऐसा कोई मूल्यांकन मानदंड निर्धारित नहीं था।

- समझौता ज्ञापन में पूर्ण हुई परियोजनाओं, समय और लागत उपरिव्यय के साथ लम्बित परियोजनाओं और निर्धारित समय में प्राप्त मील के पत्थर और कार्यान्वित की जाने वाली नई परियोजनाओं की सूची को दर्शाया नहीं गया था।

- एमएनआरई के रिजल्ट फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) में परिकल्पित उद्देश्यों और लक्ष्यों को समझौता ज्ञापन में दर्शाया नहीं गया था।

- एमओयू में क्षेत्र विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य दर्शाने के लिए एमएनआरई द्वारा 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिए फरवरी 2011 में तैयार की गई अपनी नीतिगत योजना में दर्शायी गई आवश्यकता के बावजूद, 2012-13 के लिए समझौता ज्ञापन में ऐसा कोई वर्णन नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2014) कि सीपीएसई और मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के लिए दिशानिर्देश सभी पीएसयू के लिए सामान्य दिशानिर्देश हैं। इरेडा जैसे वित्तीय संस्थान के मामले में, सीपीएसई की उत्पादकता संस्वीकृतियों और संवितरण के संदर्भ में मापी जाती हैं। जहां तक परिणाम के रूप में प्रत्यक्ष उपलब्धि का संबंध है वहां समझौता ज्ञापन में इसे शामिल न करना है, क्योंकि परियोजना का वास्तविक संस्थापन कार्य विकासकों के पास है जो कि वित्तीय संस्थानों को सीधे नियंत्रण के अन्तर्गत नहीं होते, यद्यपि यह निश्चित नतीजों को नहीं दर्शाता।

लेखापरीक्षा का मत है कि प्रत्यक्ष लक्ष्यों की निर्धारण योग्य मात्रा को समझौता ज्ञापन में समाविष्ट किया जा सकता है जैसाकि पहले होता आया था, क्योंकि यह इरेडा की उत्पादकता और दक्षता के मूल्यांकन के लिए मानदण्ड उपलब्ध कराता है।

सिफारिश संख्या 3

नई तथा चालू परियोजनाओं के गणना करने योग्य भौतिक आयाम एमओयू में परिलक्षित होने चाहिए।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा सिफारिश को आंशिक रूप से यह कहते हुए स्वीकार किया कि संस्वीकृत सहायता और प्राप्त एमडब्ल्यू क्षमता को दर्शाया जा सकता है।